बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01/भू0अ0नि0(8)–मुकदमा–23/2022...6540 पटना, दिनांक :19/08/2023

आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8128/2022 अमित कुमार आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.04.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

" Having heard learned counsel for the petitioners and the State and after taking note of the aforementioned materials available on the record, this Court finds that at this stage all subsequent advertisements have already been withdrawn. The posts of Special Survey Kanoongo, Special Survey Settlement officer and Special Survey Amin are still vecant and even fresh posts have been sanctioned which are yet to be filled up.

This Court further finds that there is already an order of a learned Single Judge as well as the Hon'ble Division Bench of this Court in CWJC No. 8128 of 2022 and respectively wherein the respondent authorities are obliged to consider the representations of petitioners in those case. The case of these petitioners are definitely similarly situated to the petitioners in CWJC 20663 of 2021. This being the position, instead of going into the merit of the contentions of the petitioners, this Court deems itjust and proper to direct the respondents to consider the case of the petitioners along with the petitioners of CWJC 20663 of 2021, keeping in view that the Hon'ble Division Bench has also left it open for theapppellants in the said case to agitate such issues on the principle of their legitimate expectation of being appointed".

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8128/2022 अमित कुमार आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य मे याचिकाकर्त्ता – मृत्यंजय कुमार के द्वारा निम्न अनुरोध किया गया है:–

1. " याचिकाकर्ता दिनांक 27/08/21 के आदेश के अनुसार योग्यता के क्षेत्र में आते हैं, जिसके द्वारा योगदान के पश्चात् रिक्त घोषित पदों को भरने का निर्णय लिया गया था, परन्तु विज्ञापन संख्या 03/2019 में याचिकाकर्त्ता योग्यता स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में याचिकाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 04/04/23 को पारित न्यायादेश के आलोक में कहा गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ याचिकाकर्त्ता के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए साथ ही प्राप्त अंको के अनुसार याचिकाकर्त्ता मौद्रिक लाभ और वरिष्ठता प्राप्त करने के हकदार हैं।"

2. " याचिकाकर्त्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04/04/23 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन तथा माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही करना समझा जाएगा।"

3. "उपरोक्त तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04/04/23 को पारित आदेश संदर्भ में विज्ञापन संख्या 03/2019 में नियोजन के पश्चात् रिक्त बचे 54 पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए उपयुक्त होने तथा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 20663 से उत्पन्न एल.पी.ए. संख्या 11/2022 में पारित आदेश और प्राप्त अंकों के अनुसार मौद्रिक लाभ और वरिष्ठता प्राप्त करने के हकदार होने की बात कहीं गई है।"

यद्यपि की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2023 को पारित न्यायादेश में याचिकाकर्त्ता के उपरोक्त कथन/दावों के विपरित यह अंकित किया गया है कि :–

"याचिकाकर्त्ताओं की दलीलों की योग्यता पर जाने के बजाय यह न्यायालय प्रतिवादियों को मामले पर विचार करने का निर्देश देना उचित समझता है"।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन पर सुनवाई की तिथि दिनांक 19.08.2023 को 10.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित करते हुए निदेशालय के पत्रांक 6400 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु डाक/ई–मेल/वाट्सऐप के माध्यम से सूचित किया गया।

निर्धारित तिथि को सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8128/2022 अमित कुमार आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में याचिकाकर्त्ता मृत्युंजय कुमार उपस्थिति हुए। याचिकाकर्त्ता का पक्ष उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में सुना गया।

उपस्थित याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रतीक्षा सूची के माध्यम से रिक्त पदो को भरे जाने का पुनः अनुरोध किया गया। सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्त्ता से आवेदन के अतिरिक्त अपने पक्ष में रखने हेतु अन्य दस्तावेज (यदि कोई हो) भी हाथो–हाथ समर्पित करने हेतु कहा गया। याचिकाकर्त्ता द्वारा अपील आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज लिखित रूप में समर्पित करने की बात नही कही गई एवं जानकारी दी गई कि समर्पित आवेदन में ही सभी तथ्यों का उल्लेख है।

सुनवाई में याचिकाकर्त्ता का पक्ष सुनने के बाद स्पष्ट किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय आदेश से गठित भर्ती कोषांग द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा अमीन सहित कुल 05 पदों के लिए वर्ष 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

उक्त विज्ञापनों के आलोक में विभागीय आदेश द्वारा गठित काउंसलिंग टीम ने अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सभी अभिलेखों की आवश्यक जाँचोपरान्त अन्य सभी प्रक्रियाएँ पूरी करते हुए परिणाम प्रकाशित किये गए एवं मेघा सूची (प्राप्तांक) के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन किया गया। चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत सभी पदों के विरूद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किये गए एवं योगदान की कार्रवाई सम्पन्न करायी गयी।

उपरोक्त सभी पदों पर योगदान करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कई बार अवसर प्रदान किया गया एवं समाचार पत्रों में भी इस आशय की सूचना प्रकाशित करायी गयी। इसके उपरांत भी योगदान की अंतिम तिथि के पश्चात् 1971 अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं दिया गया। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र0	विज्ञापन संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	स्वीकृत पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गए योगदान एवं पदस्थापन की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	03/2019	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	275	275	221	54
2	04/2019	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	550	534	344	190
3	05/2019	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	550	549	364	185
4	01/2019	विशेष सर्वेक्षण अमीन	4950	4950	3455	1495
5	02/2019	अमीन	550	534	487	47
		कुल :	**6875**	**6842**	**4871**	**1971**

दिनांक 11.08.2021 को आयोजित चयन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से 1971 पदों को रिक्त घोषित करते हुए रिक्त पदों पर नियोजन हेतु कॉन्सिलिंग के पश्चात तैयार की गयी मेधा सूची में से रिक्त पदों के लिए कोटिवार/आरक्षणवार नियोजन सूची तैयार करने निर्णय लिया गया।

चयन समिति की उक्त निर्णय के आलोक में 1971 पद को रिक्त करने संबंधी निदेशालय आदेश संख्या 2590 दिनांक 27.08.2021 निर्गत किया गया।

पद रिक्त घोषित होने के पश्चात् नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के क्रम मे निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की गई :—

1. क्या काउंसलिंग के पश्चात तैयार की गयी मेधा सूची में से नियोजन के पश्चात् अवशेष बचे अभ्यर्थियों की सूची को स्थायी प्रतीक्षा सूची के रूप में अंगीकृत किया जा सकता है एवं इसके आधार पर शेष रिक्त पदों पर नियोजन हेतु चयन सूची बनाकर नियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।

अथवा

पुनः नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नियोजन की कार्रवाई किया जाय?

2. यदि पूर्व के मेधा सूची से नियोजन की कार्रवाई किये जाने पर परामर्श होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त सूची से रिक्त पदों की पूर्ति संभव नहीं हो पाये तो क्या आवेदकों की सूची से पूर्व में काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किए गए आवेदको के अलावे नीचे के आवेदकों को काउंसलिंग के लिए पुनः बुलाया जा सकता है एवं इस आधार पर पुनः चयन सूची तैयार की जा सकती है तथा पद रिक्त होने की स्थिति में उक्त प्रक्रिया द्वारा उक्त पदों पर पुनः चयन किया जा सकता है?

उपरोक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. परामर्श में उल्लेखित किया गया है कि प्रशासी विभाग की अधिसूचना संख्या– 72 दिनांक 27.02.2019 द्वारा अधिसूचित बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 जिसके प्रावधानों के तहत संविदा नियोजन किया गया है, मे कहीं भी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं करने के फलस्वरूप रिक्त रह गये पदों के प्रतीक्षा सूची से भरे जाने एवं एतदर्थ प्रतीक्षा सूची बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

2. परामर्श में उल्लेखित किया गया है कि एक बार चयन की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जाने के उपरान्त नियुक्ति का यह सम्व्यवहार पूर्ण हो गया माना जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक– 16.07.2007 द्वारा विचाराधीन विषय के संदर्भ में कतिपय मार्गदर्शन निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका– 3 (16) में निहित प्रावधान निम्नवत् है :–

किसी उम्मीदवार एवं उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य करणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में पूर्व निर्गत आदेश संख्या 2590 दिनांक 27.08.2021 के कंडिका–2 एवं 3 को सक्षम प्राधिकार के अनुमति से आदेश संख्या 606 दिनांक 12.03.2022 के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया तथा आदेश में यह भी अंकित किया गया कि :–

" सरकार के निर्णयानुसार रिक्त घोषित पदों पर नियोजन की कार्रवाई **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019"** में प्रावधानित नियमों के आलोक में विज्ञापन प्रकाशन के माध्यम से की जाएगी।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियोजन हेतु पुनः नये सिरे से विज्ञापन संख्या 05/2022 (विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी), विज्ञापन संख्या 06/2022 (विशेष सर्वेक्षण कानूनगों), विज्ञापन संख्या 07/2022 (विशेष सर्वेक्षण अमीन) एवं विज्ञापन संख्या 08/2022 (विशेष सर्वेक्षण लिपिक) प्रकाशित किया गया।

पुनः दिनांक 20.12.2022 को मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृत एवं पत्रांक 4672 दिनाक 21.12.2022 के द्वारा अधिसूचित बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022 में वर्णित प्रावधन कि :– **"पदों पर चयन "बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE BOARD)" के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी"**

उपरोक्त के आलोक में पुनः पूर्व प्रकाशित विज्ञापन विज्ञापन संख्या 05/2022 (विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी), विज्ञापन संख्या 06/2022 (विशेष सर्वेक्षण कानूनगों), विज्ञापन संख्या 07/2022 (विशेष सर्वेक्षण अमीन) एवं विज्ञापन संख्या 08/2022 (विशेष सर्वेक्षण लिपिक) को रद्द करते हुए अधियाचना BCECE BOARD को प्रेषित की गई।

वर्त्तमान में नियोजन की कार्रवाई बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE BOARD) के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ता के द्वारा प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य रिक्त पदों के विरूद्व नियोजित करने संबंधी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त आदेश के साथ सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8128/2022 अमित कुमार आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.04.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता से प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0(8)–मुकदमा–23/2022 6540 **पटना, दिनांक :–** 19/08/2023

प्रतिलिपि :– मृत्यंजय कुमार, पिता–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, ग्राम–हृदयनगर, पो0–वसंतपुर, थाना–बीरपुर, जिला–सुपौल, पिन–854340(E-mail- mrityunjaytutu8877@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

19/8/23
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0(8)–मुकदमा–23/2022 6540 **पटना, दिनांक :–** 19/08/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/8/23
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप